पत्र संख्या : 7वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰ राँची–07–14/2019–ज॰सं॰– 67

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 25/07/19

विषय :– वित्तीय वर्ष **2019–20** में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु **रू॰ 630.00** लाख (छः करोड़ तीस लाख रूपये मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–63/12.02.19

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2019–20** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰ में)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना /19 – नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50S470200796190545	630.00

आवंटित राशि – ₹ छः करोड़ तीस लाख मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलो के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
3. आवंटित राशि वर्ष 2019–20 के बजट उपबंध **₹ 14000.00 लाख** (₹ एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 तथा 2747(वि॰), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।
5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
6. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगें कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrendr No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–14 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

24.7.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 67 रॉची, दिनांक :– 25/07/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰– **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/खूँटी** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

24.7.19
(अरूण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 67 रॉंची, दिनांक :– 25/07/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	24/07/19 (रमेश कुमार दूबे) विशेष सचिव	24.7.19 **(अरूण कुमार सिंह)** **अपर मुख्य सचिव**

पत्रांक – 67 /राँची, दिनांक – 25/07/19 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)

मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष –796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उपशीर्ष – 19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50S470200796190545

बजट उपबंध (2019–20) रू॰ 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र॰ सं॰	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	एकरारनामा की राशि	मार्च 2019 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटन: पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची (RNCMIR001)	राँची	लापुंग	मौजा–बड़गाई में सोतिया नाला पर एकल चेकडैम निर्माण	63/12.02.19 Online A.A-2097/12.02.19	66.031	58.510	0.000	15.000	30.000	45.000	45.000	44357	
2			ईटकी	बिरगोड़ा नाला में चेकडैम निर्माण		103.504	91.700	0.000	35.000	30.000	65.000	65.000		
3			नामकोम	सीरी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		239.400	192.622	0.000	20.000	80.000	100.000	100.000		
4			बुड़मू	टिकिसवेरा में बसारी नाला पर चेकडैम निर्माण		123.207	107.903	0.000	25.000	40.000	65.000	65.000		
5			बुड़मू	सरना नाला पर चेकडैम निर्माण		66.440	58.752	0.000	25.000	30.000	55.000	55.000		
6			चान्हो	तिनकोनिया नाला पर चेकडैम निर्माण		65.974	52.347	0.000	20.000	20.000	40.000	40.000		
					योग	**664.556**	**561.834**	**0.000**	**140.000**	**230.000**	**370.000**	**370.000**		
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, खुँटी (RNCIRRK01)	खूँटी	खूँटी	देवरडीह (कुलराम) नाला पर एकल चेकडैम निर्माण	63/12.02.19 Online A.A-2097/12.02.19	101.036	90.036	0.000	65.000	35.000	100.000	100.000	44358	
2			खूँटी	कुजराम नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		104.463	91.057	0.000	51.000	40.000	91.000	91.000		
3			खूँटी	लतरहातू (तारूप) नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		47.692	42.102	0.000	26.000	15.000	41.000	41.000		
4			खूँटी	हाटिंग चौली नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		110.332	97.335	0.000	71.000	25.000	96.000	96.000		
5			अड़की	कुजुम्बा नाला पर एकल चेकडैम सं.–2 का निर्माण		78.489	63.592	0.000	43.000	20.000	63.000	63.000		
6			कर्रा	हंकागोली में कुदा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		265.608	221.223	0.000	99.000	50.000	149.000	149.000		
7			रनियाँ	सिकरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		158.197	140.698	0.000	23.000	90.000	113.000	113.000		
8		राँची	बुण्डू	मुरगीडीह नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		120.866	105.977	0.000	47.000	40.000	87.000	87.000		
9			बुण्डू	डाडुडीह नाला पर एकल चेकडैम निर्माण		57.526	47.896	0.000	30.000	15.000	45.000	45.000		
10			तमाड़	हदगा सोतिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		187.582	162.805	0.000	109.000	50.000	159.000	159.000		
11			तमाड़	मटिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण		124.950	107.832	0.000	48.000	20.000	68.000	68.000		
					योग	**1,356.741**	**1,170.554**	**0.000**	**612.000**	**400.000**	**1012.000**	**1012.000**		
					कुल योग	**2,021.297**	**1,732.388**	**0.000**	**752.000**	**630.000**	**1382.000**	**1382.000**		

आवंटित राशि – ₹ छः करोड़ तीस लाख मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

24/07/19
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 24.7.19
अपर मुख्य सचिव